I

आवश्यक
नगरपालिका आम चुनाव, 2022

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -न.नि.50-232/2022 - 3735

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला दंडाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - 8.9.22

विषय : नगरपालिका आम चुनाव, 2022 : मतदान केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्य (electioneering) पर रोक एवं विधि –व्यवस्था के संधारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के बाहर अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा अपना-अपना निर्वाचन केन्द्र बनाने की व्यवस्था की जाती है, ताकि मतदाताओं को गैर आधिकारिक पहचान स्लिप (unofficial identity slip)देकर पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के पास भेजा जाए, जो उस गैर आधिकारिक स्लिप में अंकित मतदाता के क्रमांक / नाम को देखकर अपने पास रखी गई मतदाता सूची में उसका नाम तुरंत ढूंढ सकें। कहीं-कहीं से ऐसे निर्वाचन केन्द्रों पर विभिन्न अभ्यर्थियों के समर्थकों / मतदाताओं के बीच संघर्ष होने की नौबत भी उत्पन्न हो जाती है।

2. उपर्युक्त बिन्दुओं पर भली-भाँति विचार कर आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि :-

(*i*) मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी की परिधि में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा कोई निर्वाचन केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। जहाँ एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, वैसे मतदान केन्द्रों के समूह के लिए परिसर के 200 मीटर के बाहर एक अभ्यर्थी मात्र एक ही निर्वाचन केन्द्र स्थापित कर सकेगा।

(*ii*) वैसे केन्द्रों पर अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक टेबल और एक कुर्सी तथा धूप-बारिश आदि से बचाव के लिए छाता/तारपोलिन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे केन्द्र को किसी भी परिस्थिति में कनात आदि से घेरा नहीं जाएगा।

(*iii*) वैसे केन्द्र स्थापित करने का इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाची पदाधिकारी को अग्रिम रूप में उन मतदान केन्द्रों की संख्या एवं नाम संसूचित करेगा, जहाँ वह ऐसे केन्द्र बनाना चाहता है । वह संबंधित सरकारी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों, यथा नगर निगम , नगर परिषद्, नगर पंचायत , जिला परिषद आदि से उनकी लिखित अनुमति, निश्चित रूप से केन्द्र स्थापित करने से पहले प्राप्त कर लेगा। ऐसा लिखित अनुमति पत्र उस केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति के पास हमेशा

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

8.9.22

मौजूद रहेगा तथा पुलिस/निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें वह अनुमति पत्र दिखलाया जाएगा।

(*iv*) वैसे केन्द्र मतदाताओं को मात्र गैर आधिकारिक पहचान स्लिप निर्गत करने के उद्देश्य से ही स्थापित किए जाएंगे। ऐसी पहचान स्लिप में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके प्रतीक चिह्न का कोई उल्लेख नहीं रहेगा, मात्र मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक एवं उसका नाम/पिता का नाम आदि अंकित रहेगा।

(*v*) **वैसे निर्वाचन केन्द्र पर अभ्यर्थी के नाम तथा उसके निर्वाचन प्रतीक को प्रदर्शित करता हुआ अधिकतम 3 फीट X 4.5 फीट का मात्र एक बैनर प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी।** इस निदेश के विपरीत लगाया गया कोई बैनर विधि-व्यवस्था संधारित करने वाले अधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा और जप्त कर लिया जाएगा।

(*vi*) किसी भी परिस्थिति में ऐसे केन्द्रों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिस व्यक्ति ने अपना मतदान कर लिया है (**जो उसकी बायीं तर्जनी पर लगे अमिट स्याही के निशान से स्पष्ट हो जाएगा**), उसे भी वैसे केन्द्र पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(*vii*) उक्त केन्द्रों के संचालन में लगे व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र अथवा दूसरे अभ्यर्थी के केन्द्र में जाने से नहीं रोकेंगे, न ही मतदाता द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई अड़चन अथवा बाधा उत्पन्न करेंगे। किसी भी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी के निर्वाचन केन्द्र में ही जाकर गैर आधिकारिक पहचान स्लिप प्राप्त करने अथवा किसी अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की जाएगी।

3. आयोग सभी संबंधित को सचेत करना चाहता है कि उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा तथा वैसे केन्द्र को हटाने के अतिरिक्त उत्तरदायी अभ्यर्थी / उनके समर्थक अथवा अभिकर्ता के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. अगर यह पाया जाता है कि किसी पदाधिकारी ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तत्परतापूर्वक तथा त्वरित कार्रवाई करने में चूक अथवा लापरवाही की है, तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त अन्य दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी ।

5. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रति सभी अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को नामांकन भरने के समय पावती रसीद पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/2022 - 3735 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/2022 - 3735 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/ 2022 - 3735 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/ 2022 - 3735 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।